Name of the college: A.P.S.M. College Barauni

Name: Dr. Rajesh Kumar Suman

Designation: [GT]

Date: 29-4-2021

Class: B.A. Part-II (Eco.)

Unit: 02

Paper: III

Name of the topic: Say's law of Market

---

प्रो० से के बाजार नियम की क्रियाशीलता के कारण :- [Reasons of operation of Say's law of Markets]

=> से के बाजार नियम की क्रियाशीलता के निम्नलिखित दो कारण है—

(1) लोचपूर्ण ब्याज की दर [Flexible Rate of Interest]

(2) लोचपूर्ण मजदूरी :- [Flexible Wages]

(1) लोचपूर्ण ब्याज की दर :- साधन स्वामियों द्वारा अर्जित समस्त आय इन वस्तुओं के क्रय में व्यय हो जाती है जिनके उत्पादन में वे सहायक होते हैं। यदि उनकी आय का कुछ भाग व्यय नहीं होता, वह बच जाता है तो उसका स्वतः विनियोग हो जाता है इस प्रकार बचत विनियोग के बीच बराबर होता है। यदि दोनों में अन्तर होता है तो ब्याज की दर के माध्यम से साम्य स्थापित हो जाता है।

उदाहरण :- यदि किसी समय बचतों की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे ब्याज दर कम हो जाती है। ब्याज की कम दर एक ओर अधिक विनियोग के लिए उत्प्रेरणा का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर अधिक बचत को निरुत्साहित करती है। ब्याज की दर उस समय तक कम होती जायेगी जब तक सारी अतिरिक्त बचतों का विनियोग नहीं हो जाता है। अतः अतिरिक्त बचतें ब्याज की दरों में कमी होने की प्रक्रिया द्वारा स्वतः ही विनियोजन का रूप ले लेती है। इस प्रकार ब्याज-दर की लोचशीलता सदैव ही बचत और विनियोग को बराबर रखती है।

Scanned with CamScanner

(2.) लोचपूर्ण मजदूरी :- प्रो० पीगू ने 'से' के नियम को श्रम-बाजार के प्रसंग में प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार स्वतन्त्र प्रतियोगिता के अधीन आर्थिक प्रणाली की यह प्रवृत्ति रहती है कि श्रम-बाजार अपने आप पूर्ण रोजगार प्रदान करे। मजदूरी के ढाँचे में कठोरता (Rigidity) और स्वतन्त्र बाजार की अर्थव्यवस्था की कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप से बेरोजगारी होती है। इस संदर्भ में यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कीमतों और मजदूरी को पूर्णतया लोचपूर्ण मानते हैं तथा वे यह स्वीकार करते हैं कि अर्थव्यवस्था अपने आपको स्वतः पूर्ण रोजगार के स्तर पर समायोजित कर लेती है। "पीगू" ने इसी आधार पर रोजगार सिद्धान्त की व्याख्या करते समय अपनी विचारधारा में 'से' (Say) के नियम को श्रम बाजार पर लागू कर प्रतिष्ठित विचारधारा को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। पीगू की विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि यदि मजदूर अपना पारिश्रमिक अपनी सीमान्त उत्पादकता के बराबर लेने को तैयार रहें तो श्रम-बाजार में कभी भी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है।

(शेष आगे)